

IT/1532
6-7-17

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

वित्त (नियम) विभाग

क्रमांक:एफ4/मु./वित्त/नियम/6/ 2017/ 3566

दिनांक: 6-7-17

परिपत्र

निगम के परिपत्र संख्या एफ.4/वित्त/नियम/6/2017/1427 दिनांक 16.03.17 के द्वारा निर्देश जारी किये गये थे कि राजकीय /निगम सेवा में सेवारत पति-पत्नी जो एक ही मुख्यालय पर पदस्थापित हैं तथा एक ही मकान में रहते हैं तो, उनमें से एक का ही मकान किराया भत्ता, जो दोनों में से जिसका अधिक हो, आहरित किया जावे। यह परिपत्र माह जनवरी 2017 के वेतन से प्रभावी किया गया था।

शासन सचिव, वित्त (बजट) राजस्थान सरकार के आदेश संख्या प.8 (10)/वित्त/नियम/2009 दिनांक 14.06.2017 की पालना में उक्त परिपत्र संख्या एफ./ वित्त/नियम/6/17/1427 दिनांक 16.03.17 को प्रत्याहारित(withdraw) किया जाता है।

परिपत्र दिनांक 16.03.17 की पालना में जिन निगम अधिकारियों/कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता का भुगतान माह जनवरी 2017 से रोका गया है, का एरियर देय होगा।

(Q)

(कुलदीप रांका)

प्रबन्ध निदेशक

दिनांक: 6-7-17

क्रमांक:एफ4/मु./वित्त/नियम/6/ 2017/ 3566

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, अध्यक्ष/ प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर।
- 2 कार्यकारी निदेशक(), रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर।
- 3 महा प्रबन्धक(), रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर।
- 4 उप महा प्रबन्धक ()/कार्यकारी प्रबन्धक, ()रा.रा.प.प. निगम, मु जयपुर।
- 5 उप महा प्रबन्धक (आई.टी.) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करावे।
- 6 निगम सचिव, रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर।
- 7 मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी, के कार्यशाला, रा.रा.प.प. निगम,।
- 8 लेखाधिकारी() रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर।
- 9 मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प. निगम।
- 10 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1(), रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर।
- 11 आदेश/रक्षित पत्रावली।

(परमेश्वरी चौधरी)

वित्तीय सलाहकार